③

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

दूरभाष न0 05942– 235572 फैक्स न0 05942–233549 ई–मेल–eepdpwdntl@gmail.com

पत्रांक :– 122 / 29Mg दिनॉक :–13/ 1 /2020

सेवा में,

अपर प्रमुख, वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी,
इन्द्रिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषयः– जनपद नैनीताल में नैनीताल कालाढूंगी मोटर मार्ग के किमी0 20 से नलनी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख, वन सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून का पत्रांक 1361 /FP/ UK/ ROAD / 8979/2016 दिनांक 09.11.2016 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल का पत्रांक 3249 / 13–नलनी दिनांक 07.10.2017 | एवं इस कार्या0 का पत्रांक सं0 1458/21C —दि0 18.7.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में लगायी गयी शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् है :–

क0 सं0	सैन्द्वातिक स्वीकृति में लगायी गई शर्ते	लगायी गई शर्तो की अनुपालन आख्या
1	शर्त न0 1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आस पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव की धनराशि रू0 208914.00 (रू0 दो लाख आठ हजार नौ सौ चौदह) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। जो प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या 596 / 3–5–2 दिनांक 19.08.2015 द्वारा निर्धारित दर पर आगणन किया गया है।	रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव की धनराशि रू0 208914.00 चालान संख्या 6189790555 के द्वारा कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। (प्रति संलग्न)।
2	शर्त न0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 325215.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।	शर्त नं0 2 के क्रम में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 325215.00 चालान संख्या 6189790555 के द्वारा जमा कैम्पा कोष में जमा कर दिया गया है। (प्रति संलग्न)।
3	अपर प्रमुख, वन सरक्षक एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु नं0 1 में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ऑन लाइन अगवत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में पदत्त सैन्द्वातिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो की अनुपालन आख्या / चालान ऑन लाईन अपलोड किया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी को सैन्द्वातिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुसार डिमाण्ड नोट प्रेषित करेंगे। जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोड करेंगे। जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि भुगतान की कार्यवाही करेंगे।	शर्त न0 3 के अनुपालन में सैन्द्वातिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो की अनुपालन आख्या / चालान द्वारा धनराशि जमा कर दी गयी है।
4	शर्त न0 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का	इस कार्यालय द्वारा एन0पी0वी0 की

	बजनबद्वता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुइ दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करायी जायेगी।	धनराशि में बढोत्तरी होने का बचत प्रमाण पत्र भी मूल प्रति प्रेषित की जा रही है।
5	शर्त न0 4 के अनुपालन में निर्देश दिये गये है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2017 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0बी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण कैम्पा के तदर्थ निकाय के लेखा स0 एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लौक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज 1, लोधी रोड़ नई दिल्ली 110003 में जमा की जाऐगी।	शर्त संख्या 4 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एन0पी0बी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण कैम्पा कोष में लेखा सं0 एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लौक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज 1, लोधी रोड़ नई दिल्ली 110003 में जमा की गई। (प्रति संलग्न)
6	शर्त नं0 5 में निर्देश दिये गये है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995/ के अन्तर्गत आई0ए0सं0 556 एवं भारत सरकार की पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिं0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0बी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के तदर्थ निकाय के लेखा सं0 एस0बी0 25229 कार्पोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लौक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज 1, लोधी रोड़ नई दिल्ली 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो उपलब्ध कराये जाने के पश्चात की निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	शर्त न0 5 में दिये गये निर्देशों के क्रम में रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0 566 एवं भारत सरकार की पत्र सं0 5–3/ 2017 – एफ0सी0 दिं0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0बी0 तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा कैम्पा के तदर्थ निकाय लेखा सं0 एस0बी0 कार्पोरेशन बैक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लौक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज 1, लोधी रोड़ नई दिल्ली 110003 में जमा कर दी गयी है। पावती की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या एन0पी0बी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्ताव स्थल के आस पास वृक्षारोपण की धनराशि जमा कर रसीद चालान संलग्न कर प्रस्तुत किया जा रहा है। (प्रति संलग्न)
7	शर्त नं0 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कढाई से अनुपालन किया जायेगा। वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	शर्त नं0 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा भू–वैज्ञानिक के सुझावों को कढाई से अनुपालन किया जायेगा। (प्रति संलग्न)
8	शर्त नं0 7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त नं0 7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्तो को सन्तोषजनक ढंग से पालन किया जायेगा।
9	शर्त न0 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेख/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	शर्त सं0 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2016 में निहित आवश्यक अभिलेख प्रपत्र आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। (प्रति संलग्न)
10	शर्त न0 9 के अनुसार उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	शर्त सं0 9 के अनुसार उपरोक्त शर्तो की अनुपालन आख्या संलग्न सहित प्रेषित कि जा रही है।
11	उपरोक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के उपरोक्त पत्र के बिन्दु स0 2 में उल्लेखित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण सैन्द्वातिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत	सैन्द्वातिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त मार्गो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार भारत सरकार के www.foresrtclearenc.nic.in पर भरकर ऑन लाईन अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को

(5)

	सरकार के www.foresrtclearenc.nic.in पर ऑन लाईन अपने user account में जाकर II clearance में पहले mutation की Details भरकर समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या ऑन लाईन अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की जानी है तथा हार्ड कापी इस कार्यालय को भी प्रेषित करे।	प्रेषित की जा रही है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि प्रकरण को विधिवत् स्वीकृति जारी करने हेतु उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने का कष्ट करे।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीय

13/01/20

(इं0 दीपक गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल

पत्रांक :– 122 /29ny दिनॉक :– 13/1 /2020

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नैनीताल को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता प्रथम, प्रा0,ख0, लोक निर्माण विभाग नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– खण्डीय अमीन, प्रा0,ख0, लोक निर्माण विभाग नैनीताल।

13/01/20

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल